



भारत सरकार,
(वित्त मंत्रालय)
कार्यालय आयकर आयुक्त-2,
5, अशोक मार्ग, आयकर भवन, लखनऊ

फा0सं0 आ0आ0-2/लख0/80जी(5)(vi)/445/2011-12 दिनोंक: 08.04.2011

सेवा में,

निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग सेवा संस्थान,
563ख/4, मंगलखेड़ा, आलमबाग,
लखनऊ।

विषय:-आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र

उपर्युक्त किय पर दिनोंक 07.01.2011 की आपकी याचिका के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 563ख/4, मंगलखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ को दिया संदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर-मुक्ति के लिए निर्धारण वर्ष 2012-13 से वैध है।

(आनन्द दीप)
आयकर आयुक्त-2,
लखनऊ।

नोट:-

- दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनोंक लिखा होने चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी लिखें कि यह प्रमाण पत्र केवल निर्धारण वर्ष 2012-13 से वैध है।
- प्राप्तियों और खर्चों के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी के पास अक्षय प्रस्तुत करें।
- न्यास/संस्था के उद्देश्यों नियमों व संशोधन व परिवर्तन में होने वाला परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

समसंख्या एवं दिनोंक - 08.04.2011

- निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 563ख/4, मंगलखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ।
- अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - 6, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आक्षय कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- आयकर अधिकारी - 6(2), लखनऊ को अभिलेख एक खण्ड में प्रेषित।



संजीव रंजन श्रीवास्तव
(संजीव रंजन श्रीवास्तव)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त-2,
लखनऊ।